न्यायालय:—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)

व्य.वाद कं.-62ए / 2013 प्रस्तुति दिनांक—27.11.2013

धानूराम पिता विपतलाल, उम्र 35 वर्ष, जाति मरार, निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र

बनाम

1-मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-विनीत कुमार पिता विपतलाल, उम्र 14 वर्ष, नाबालिग वली मां मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा. A Teles States जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-डोमनबाई पिता विपतलाल, उम्र 18 वर्ष, निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा. जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-तमेश्वरी बाई पिता विपतलाल, उम्र 16 वर्ष, नाबालिग वली मां मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5—ललिताबाई पिता विपतलाल, उम्र 12 वर्ष नाबालिग वली मां मुलियाबाई पति विपतलाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी-ग्राम मानेगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

6-हेमलताबाई पति राजकुमार, उम्र 23 वर्ष, निवासी-ग्राम बोदा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

7-रेवतीबाई पति गजानंद, उम्र 21 वर्ष, निवासी-ग्राम जगला, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

8—म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर महोदय, जिला बालाघाट(म.प्र.)

-:// <u>निर्णय</u> //:-(आज दिनांक-23/02/2015 को घोषित)

- 1— वादी ने यह व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा मानेगांव प.ह. नं—40, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 79/11 रकबा 0.74 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोकने स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है।
- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- 3— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादी के आधिपत्य की है। उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में प्रतिवादी क्रमांक—1 से 7 ने वादी, हीरालाल व रोशनलाल के खिलाफ एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायालय वर्ग—2 बैहर के समक्ष पेश किया था, जिसमें पारित निर्णय दिनांक—28.01.13 के अनुसार वादी की विवादित भूमि का वैध आधिपत्यधारी है। उक्त निर्णय अंतिम हो चुका है एवं प्रतिवादीगण पर बंधन कारक है। वादी के आधिपत्य की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण दिनांक—30.10.13 को फसल काटकर ले गए। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतएव प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषधाज्ञा जारी कर उन्हें विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोका जावे।
- 4— प्रतिवादी क्रमांक—1 एवं 3 ने वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए लिखित कथन में अभिवचन किया है कि बादी के पिता विपतलाल की दो पित्नयां संतीबाई एवं मुलियाबाई है। संतीबाई की फौत होने के बाद विपतलाल ने प्रतिवादी क्रमांक—1 मुलियाबाई से दूसरा विवाह किया था। विपतलाल की पहली पत्नी संतीबाई से संतान वादी, धानूराम व हीरालाल उत्पन्न हुए तथा प्रतिवादी क्रमांक—1 मुलियाबाई से प्रतिवादी क्रमांक—2 लगायत 7 उत्पन्न हुए। विपतलाल ने अपने जीवनकाल में उसकी खानदानी भूमि का बंटबारा कराकर परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग—अलग भूमि दर्ज करा दिया है। उक्त बंटवारे के अनुसार विपतलाल ने पुत्र धानूराम एवं अन्य पुत्रों प्रत्येक को 1.32 एकड़ तथा प्रत्येक पुत्रियों को 25 डिसमिल भूमि

देकर स्वयं के पास 1.40 एकड़ भूमि बचाकर रखी थी। वादी ने बंटवारे में प्राप्त हिस्से की जमीन बेच दिया है। इस कारण उसे विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

- 5— प्रकरण में प्रतिवादी कमांक-2, 4 से 8 एकपक्षीय है तथा उनकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।
- 6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

क्रं.	🔊 💉 वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या ग्राम मानेगांव प.ह.नं. 40, तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 79/11, रकबा 0.74 एकड़ भूमि पर वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में प्रतिवादी क. 01 से 07 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित
2	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

-:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::-<u>वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण</u>

7— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य में प्रतिवादी क. 01 से 07 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में पूर्व व्यवहार वाद में पारित निर्णय दिनांक 28.01.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—1 व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—2 व डिकी पेश की है। उक्त व्यवहार वाद में वादी धानूराम ने प्रतिवादी के रूप में प्रतिदावा पेश करते हुए विवादित भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य होने के आधार पर मुलियाबाई एवं उसकी संतानों के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुताष चाहा था, जिसमें पारित निर्णय के अनुसार विवादित भूमि पर धानूराम वैध आधिपत्यधारी होने के विवाद्यक का निराकरण गुण—दोषों पर न्यायालय द्वारा किया गया है। पूर्व निर्णय अनुसार वादी धानूराम का विवादित भूमि पर वैध आधिपत्य होने के विवाद्यक का निराकरण गुण—दोषों पर न्यायालय का निर्णय होने के विवाद्यक का निराकरण गुण—दोषों पर वैध आधिपत्य होने के विवाद्यक का निराकरण गुण—दोषों पर वैध आधिपत्य होने के विवाद्यक का निराकरण गुण—दोषों पर किया जाकर न्यायालय का निर्णय अंतिम होना प्रकट होता है।

विवादित भूमि का खसरा फार्म वर्ष 2012—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 के अनुसार विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी के स्वत्व की है तथा उस पर वादी का वैध आधिपत्य रहा है। वादी ने पुनः उसी विवादित भूमि के संबंध में यह व्यवहार वाद वैध आधिपत्यधारी होने के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। ऐसी दशा में इस वाद की प्रस्तुति के समय और उसके पश्चात् विवादित भूमि पर वर्तमान मे भी वादी का ही वैध आधिपत्य होने का निराकरण किया जाना होगा।

वादी की ओर से स्वयं की विवादित भूमि पर अधिपत्य होने के संबंध में विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख खसरा फार्म की प्रतिलिपि पेश किया है, जिसके खण्डन न होने से उसके सही होने की उपधारणा की जा सकती है। उक्त दस्तावेज से मात्र यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विवादित भूमि वादी के एकमात्र स्वत्व की है। उभयपक्ष ने विवादित भूमि पर उनके काबिज होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, बल्कि उभयपक्ष की मौखिक साक्ष्य से इस विवाद्यक के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

धानूराम (वा.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन 10-किया है कि प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य की विवादित भूमि में जबरन कब्जा कर लेने की धमकी देते हैं और वादी की लगाई हुई फसल काटकर ले जाते रहेंगे की भी धमकी देते हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी प्रेमलाल (वा.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि धानूराम ने विवादित भूमि पर फसल लगाई थी जो पककर तैयार होने के पश्चात् दिनांक 30.10.13 को प्रतिवादीगण ने काटकर ले गए और जबरदस्ती विवादित भूमि में घुसकर जुताई-बुवाई का कार्य किया है। इस साक्षी ने अपने कथन में यह भी प्रकट किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा विगत तीन-चार वर्षो से लगातार घुसकर धानूराम को मार पीटने की धमकी देकर उसकी खड़ी फसल को काटकर जुताई-बुवाई का कार्य किया जाता है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि को वर्तमान में मुलियाबाई काश्त करती है तथा धानूराम काश्त नहीं करता। साक्षी का स्वतः कथन है कि धानूराम को मुलिया बाई मारपीट करती है। साक्षीगण के उक्त कथनों का प्रतिवादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है।

- 11— वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी दिनेश (वा.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण जबरदस्ती घुसकर बुवाई का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वादी की मौखिक साक्ष्य से ही यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में वादी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा जबरन प्रवेश कर फसल बोया एवं काटा जा रहा है।
- प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में पूर्व व्यवहार वाद में वादी धानूराम की साक्ष्य का शपथपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 पेश की है। राजस्व प्रकरण के आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-2 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वादी के द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा–250 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार बिरसा के द्वारा दिनांक 28.02.14 को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वादी ने आवेदन में खसरा नंबर एवं रकबा का उल्लेख नहीं किया है, जिसका वह कब्जा प्राप्त करना चाहता है। उक्त आदेश पत्रिका से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी ने विवादित भूमि के ही आधिपत्य का दावा किया है। संशोधन पंजी दिनांक 15.04.11 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-3 के अनुसार वादी के द्वारा खसरा नंबर 79 / 11 में से 0.404 हेक्टेअर भूमि छविलाल को विक्रय किये जाने से प्रविष्टि की गई है, किन्तु इस प्रविष्टि से भी यह स्पष्ट नहीं होता कि वादी ने संपूर्ण विवादित भूमि का विक्रय कर दिया है। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि विवादित भूमि का वादी ने उक्त संशोधन पंजी दिनांक 15.04.11 के अनुसार विकय कर दिया था, तब पूर्व व्यवहार वाद दिनांक 07.07.11 को अर्थात कथित विक्रय के पश्चात् संस्थित किया गया था। ऐसी दशा में कथित विक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादीगण को पूर्व वाद में चुनौती पेश किये जाने का अधिकार था। इस कारण पश्चात्वर्ती वाद में प्रतिवादीगण कथित विकय के संबंध में आक्षेप लिये जाने हेतु विबंधित है।
- 13— प्रतिवादी मुलियाबाई (प्र.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वादी ने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज करवाया है तथा विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी तोषनलाल (प्र.सा.2) ने भी विवादित भूमि पर वादी का कब्जा न होना प्रकट किया है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि 74 डिसमिल है। उक्त साक्ष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि यदि मुलियाबाई का उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व नहीं होते हुए भी वादी के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। यदि प्रतिवादीगण का यह तर्क मान लिया जाए कि विवादित भूमि को वादी ने कथित छविलाल नामक व्यक्ति को विक्रय कर दिया है तो यह तथ्य प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रकट किया गया होता कि उनके द्वारा छविलाल की भूमि पर फसल बो कर काटी जा रही है, किन्तु विवादित भूमि कथित छविलाल की भूमि होने का कोई प्रमाण प्रकरण में पेश नहीं है।

प्रितिवादीगण का प्रकरण में मुख्य बचाव यह रहा है कि वादी ने 14-विवादित भूमि को बंटवारे में प्राप्त होने के पश्चात् विकय कर चुका है। इस कारण उसे पुनः खानदानी भूमि का बंटवारा एवं कब्जा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि वादी के द्वारा विवादित भूमि के तथाकथित विकय किये जाने के तथ्य को प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया गया है। विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा फार्म वर्ष 2012–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 के अनुसार विवादित भूमि का रकबा 0.405 हेक्टेअर पर वादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेखित होना प्रकट होता है। ऐसी दशा में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 117 के प्रावधान अंतर्गत उक्त राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि के सही होने की उपधारणा की जावेगी, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त दस्तावेज के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस कारण प्रतिवादीगण की ओर से मात्र मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी ने विवादित भूमि का कुछ रकबा या संपूर्ण रकबा का विकय कर दिया है। वैसे भी प्रतिवादीगण पूर्व निर्णय अनुसार विवादित भूमि वादी की स्वत्व एवं वैध आधिपत्य की होने के तथ्य का अंतिम विनिश्चय हो चुका है, जिसे प्रतिवादीगण इस वाद में चुनौती देने से बाधित है।

15— प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका वादी की विवादित भूमि पर पूर्व वाद में पारित निर्णय दिनांक 28.01.13 के पश्चात् कब और किस प्रकार आधिपत्य हो गया है अथवा वादी को किस प्रकार से उनके द्वारा बेदखल किया गया है। वास्तव में उक्त तथ्य के संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन नहीं किये हैं और न ही अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया गया है, बल्कि

प्रतिवादीगण ने पूर्व निर्णय के विनिश्चय के विपरीत काल्पनिक आधार पर अपना बचाव पेश किया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा वाद में स्वच्छ हाथों से अपना बचाव पेश नहीं किया गया है। उभयपक्ष की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा वादी के आधिपत्य वाली विवादित भूमि पर जबरन प्रवेश कर काश्त की जा रही है। वादी ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि उसके स्वत्व एवं वैध आधिपत्य की विवादित भूमि पर प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा लगातार अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।

16— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य एवं तथ्यों की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने यह प्रमाणित किया है कि विवादित भूमि पर उसका वैध आधिपत्य है तथा प्रतिवादी कमांक—1 से 7 के द्वारा उसके आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। अतएव वादप्रश्न कमांक—1 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

- 17— वादी ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादी का वाद स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:-
 - (1) प्रतिवादी कमांक—1 से 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह स्वयं तथा अन्य के माध्यम से वादी के आधिपत्य की ग्राम मानेगांव प.ह.नं. 40, तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 79 / 11, रकबा 0.74 एकड़ भूमि पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।
 - (2) प्रतिवादी क्रमांक—1 से 7 अपने साथ वादी का भी वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,
बैहर

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर